राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक प.5(5) प्राशि / स्था.कैम्प / 2018 पार्ट 1 जयपुर, दिनांक : 13.06.2018

–:: आदेश ::–

तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में निम्नानुसार स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से किये जाते है :–

क0स	नाम कर्मचारी	पद नाम मय लेवल	विषय	प्रथम नियुक्ति तिथी	वर्तमान पद स्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान				विशेष विवरण
							विधालय का नाम मय डाईस कोड	लेवल पद / विषय	ब्लॉक	जिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ABDUL NAEEM	PARBHODHAK L-1	-	13-10-2008	GOVT PS BHAWASA (8121021001)	DUDU	GOVT UPS VIJAIPURA (8120607602)	L-1	JALSU	JAIPUR	स्वैच्छिक
2	MOHAMMAD ALI	PARBHODHAK L-1	-	13-10-2008	GOVT PS TATARWALO KE DANI (8121002802)	DUDU	GOVT UPS RAWPURA (8120703702)	L-1	JAMWA RAMGARH	JAIPUR	स्वैच्छिक
3	PUSHPA SHARMA	L-1	-	05-10-1988	GOVT PS TUT KE DHANI (8121104202)	PHAGI	GOVT UPS MAHAT GANW (8121003401)	L-1	DUDU	JAIPUR	प्रशासनिक
4	मधुलता शर्मा	Teacher	L-1	04-10-2010	राप्रावि झापडावास सिकराय	Dausa	GOVT PS SARASWATPURA (8121113001)		PHAGI	JAIPUR	स्वैच्छिक
5	सपना विजयविर्गीय	Teacher	Science	29-06-1981	राउप्रावि रामनगर, रेवडी लालसोट	Dausa	GOVT GIRLS UPS JHAG (8121016502)	L-2 MATHS/ SCIENCE	DUDU	JAIPUR	स्वैच्छिक
6	रितु राठौड	Teacher	Science	18-10-2007	राबाउप्रावि लाछडी लाडनू नागौर	Nagore	GOVT UPS BHARATLAV (8121024201)	L-2 MATHS/ SCIENCE	DUDU	JAIPUR	स्वैच्छिक
7	ललिता कुमारी धानका	Teacher	L-1	05-10-2007	राप्रावि खारचों की ढाणी जसोल बालोतरा	Barmer	GOVT UPS KOHALAYA (8121319901)	L-1	CHAKSU	JAIPUR	स्वैच्छिक
8	सीताराम	Teacher	l-2 sst		राउप्रावि, रोडवाखुर्द, कल्याणपुर, पचपदरा	Barmer	Govt UPS Badabas surpura] Nokha		Nokha	Bikaner	
9	सुनीता (स्थानान्तरणाधीन)	Teacher			राउप्रावि, रतनपुरा सरदारा नून्दी मेन्द्रातन		राप्रावि, रतनामोपा बाडिया प. नून्दी मालदेव		Javaja	Ajmer	
10	लीलावती मीणा	Teacher	L-2 English		कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खातोली अजमेर	Ajmer	राबाउप्रावि, रामनगर			Ajmer	

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1. संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो / निलम्बित हो / न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो / न्यायालय में कार्मिक के विरूद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. प्रबोधक तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6 डी के तहत् चयन नहीं किया गया है, उनको शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत् समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

www.rajteachers.com

5 शून्य नामांकन वाले विद्यालय में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

6 कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि स्थानान्तरण प्रक्रिया से कोई विद्यालय (शून्य नामांकन वाले को छोड़कर) शिक्षक विहीन न हो जावें।

7 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधी सहमति का शपथ पत्र लिया जावें अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

8 गैर प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2012 के पश्चात की हो तो, उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

9 प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2008 के पश्चात की हो तो उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

10 टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

11 लेवल प्रथम के अध्यापक को लेवल द्वितीय के पद हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

12 लेवल द्वितीय गणित–विज्ञान एवं अग्रेजी के शिक्षक को उसके समान पद एवं विषय के लिये ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

13 लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लेवल प्रथम के पद पर लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी के कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।

14 संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण गैर प्रतिबन्धित से प्रतिबन्धित जिले में हो रहा हो, तो उनका केवल परिवीक्षाकाल पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाकर, उनको कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

15 प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाला कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगों से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हे कार्यमुक्त न किया जावें एवं उनके विरूद्व आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाकर उन्हे पुनः मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावें।

16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त करे एवं कार्मिक **दिनांक 20/06/18** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

17 संबंधित कार्मिक पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण अपने पूर्व पदस्थापन जिले में ही निर्धारित अवधि में प्राप्त करेगें। यदि कोई कार्मिक कार्यमुक्त हो गया हो तो उसे पुनः पूर्व पदस्थापन जिले में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

18 **स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।**

19 स्थानान्तरण प्रक्रिया में इस विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा–निर्देश दिनांक 21.04.2016, 24.06.2016 एवं 06.07.2016 की पालना सुनिश्चित की जावें।

www.rajteachers.com

20 क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

यह शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री (प्रारम्भिक शिक्षा–स्वतन्त्र प्रभार) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
7 उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।
8 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को पालना हेतु प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिन स्थानान्तरित शिक्षकों ने आपके जिले में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में नियत तिथि तक भाग नहीं लिया है, उनकी सूची स्थानान्तरित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करवावे ताकि संबंधित कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकें।
9 रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

(जगदीश नारायण जाट)
अनुभागाधिकारी